संख्या-55/2016/डी-982/38-2-2016-2(22)डी/2016

प्रेषक,

सुशील कुमार पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 21 दिसम्बर, 2016**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन योजनान्तर्गत अवमुक्त केन्द्रांश (रू0 49.16 लाख) के सापेक्ष मैंचिंग राज्यांश (रू0 32.77 लाख) की धनराशि इस प्रकार कुल धनराशि रू0 81.93 लाख अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी0ओ0-23/लेखा/डी0आर0डी0ए0 प्रशा0/2016-17, दिनांक 08-12-2016 के साथ संलग्न भारत सरकार के पत्र संख्या-आर-17014/19/2016-17/डी0आर0डी0ए0 (एसएल0 नं0-66), दिनांक 25-11-2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (प्रशासन) योजनान्तर्गत (60:40 केन्द्रांश एवं राज्यांश) के अनुसार जनपद-चित्रकूट(सी0एस0एम0 नगर), औरेया तथा मऊ हेतु अवमुक्त केन्द्रांश कुल रू0 49.16 लाख एवं मैचिंग राज्यांश रू0 32.77 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 81.93 लाख (रूपये इक्यासी लाख तिरान्नबे हजार मात्र) की धनराशि निम्न तालिका में दिये गये विवरण के अनुसार स्वीकृत करते हुए आपके निस्तारण पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

धनराशि (लाख रू0 में)

क्र0	जनपद का नाम	ओआरजी0 कोड	किस्त	केन्द्रांश की धनराशि	राज्यांश की धनराशि	कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6	7
1	चित्रकूट(सी0एस0एम0 नगर)	यू0पी0 021	प्रथम	13.60	9.07	22.67
2	औरेया	यू0पी0 005	प्रथम	17.78	11.85	29.63
3	मऊ	यू0पी0 051	द्वितीय	17.78	11.85	29.63
कुल योग				**49.16**	**32.77**	**81.93**

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष एकमुश्त आहरण न किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(2) उक्त धनराशि के व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(3) योजनान्तर्गत धनराशि का आहरण स्वीकृत धनराशि की सीमा तक किया जायेगा तथा आहरण में वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। आहरित धनराशि का व्यय जिला ग्राम्य विकास अभिकरण प्रशासन मद योजनान्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जायेगा। धनराशि के आहरण वितरण के लिए सम्बन्धित जनपदों के वरिष्ठ लेखाधिकारी, वित्त नियंत्रक व लेखाधिकारी यथास्थिति पूर्णतया जिम्मेदार होंगे। यदि कभी भी वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता है, तो इसकी सूचना तत्काल आयुक्त, ग्राम्य विकास को दी जायेगी।

(4) केन्द्रांश एवं राज्यांश की धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र राज्य सरकार एवं भारत सरकार को समयान्तर्गत प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा, वर्ष के अन्त में अप्रयुक्त धनराशि दिनांक 31 मार्च, 2017 को समर्पित कर दी जायेगी।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2501-ग्राम्य विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-01 समेकित ग्राम्य विकास कार्यक्रम-800-अन्य व्यय-02 राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-0202-जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (के0 75/रा0 25 के0+रा0)-31 सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22 मार्च, 2016 में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

ऽसुशील कुमार पाण्डेयऽ
संयुक्त सचिव।

संख्या-55/2016/डी-982/38-2-2016 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- अपर आयुक्त (लेखा) ग्राम्य विकस, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी, जनपद- चित्रकूट(सी0एस0एम0 नगर), औरेया एवं मऊ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनु0-2/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/राज्य योजना आयोग-1/2 तथा नियोजन अनु0-3
6- ग्राम्य विकास अनु0-3
7- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in